तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ..... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.10.18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की अपील में बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 16.09.2014 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी संख्या 03 को जवाब प्रस्तुत कने तक विवादित आराजी का बेचान किसी दीगर व्यक्ति को नहीं करने एवं विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पेशी दिनांक 15.10.2014 नियत की गई। दिनांक 27.11.2014 को अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 03 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रकरण में आगामी पेशी नियत कर दी गई। इसी दौराने अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 16.09.2014 के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। चुँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं और प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष हैं। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी, जो पोषणीय नहीं हैं किन्तु पक्षकारान के समय एवं व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण स्वीकार किया जाता हैं। **तत्पश्चात प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.09.2014 को इस प्रकार संशोधित किया जाता हैं कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक उभयपक्षकारान विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेगें एवं विवादित आराजी का बेचानं नहीं करेगें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने के पश्चात न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः निरस्त समझा जावें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प दूदू	